



जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 16.09.2020

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा मादक पदार्थ की सप्लाई करते 02 अन्तर्राज्यीय डोडा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 40 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त (कीमत करीब 1 लाख 20 हजार रुपये) तथा कैंटर बरामद।

आज दिनांक 16.09.2020 को पुलिस अधीक्षक शामली के द्वारा चलाये जा रहे मादक पदार्थ की तस्करी की रोकथाम के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान सूचना पर चौकी बिडौली से एक कैंटर में तिरपाल के नीचे छिपाकर तस्करी कर ले जा रहे 40 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त कीमत करीब 1 लाख 20 हजार रुपये सहित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण से पूछताछ में जानकारी हुई है कि वे दोनों कैंटर के चालक/ कन्डेक्टर हैं। तथा दिनांक 14.09.2020 को बरई (झारखण्ड) में गाडी खाली करके वापस लौट रहे थे तथा वहीं से अवैध डोडा पोस्त खरीदकर तिरपाल के नीचे छिपाकर ला रहे थे, जिसे पटियाला पंजाब में बेचा जाना था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1- हरप्रीत सिंह पुत्र गुरदीप सिंह निवासी ग्राम शम्भुकलां थाना शम्भुकलां जनपद पटियाला (पंजाब)।
- 2- रणजीत पुत्र गुरमीत निवासी ग्राम कबूलपुर थाना शम्भुकलां जनपद पटियाला (पंजाब)।

बरामदगी का विवरण:-

- 1-अवैध डोडा पोस्त- 40 किलोग्राम (कीमत करीब 1 लाख 20 हजार रुपये)।
- 2- एक कैंटर अशोक लेलैण्ड (नम्बर PB-10DS/7378)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री पी0के सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2-उ0नि0 श्री पवन कुमार सैनी थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 3-हे0का0 धर्मपाल सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 4-का0 तनुज थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 5-का0 संदीप कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 6-का0 इकरामुद्दीन थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 7-का0 जितेन्द्र कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़ में 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह व कारतूस एवं चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद ।

आज दिनांक 16.09.2020 पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस की चौसाना-बिडौली रोड़ पर चैकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार बदमाशों से हुई मुठभेड़ में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिनके कब्जे से एक अवैध तंमचा 315 बोर मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अवैध चाकू तथा चोरी की मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर बिना नम्बर बरामद हुई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1-सरफराज पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम घाटमपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
- 2-मौ0 शाहनवाज पुत्र मौ0 अब्बल हसन निवासी ग्राम मैनपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सरफराज उपरोक्त:-

- 1- मु0अ0सं0 436/2020 धारा 307/414 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2- मु0अ0सं0 437/2020 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शाहनवाज उपरोक्त:-

- 1- मु0अ0सं0 436/2020 धारा 307/414 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2- मु0अ0सं0 438/2020 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी:-

- 1- एक अवैध तंमचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर।
- 2- एक अवैध चाकू।
- 3- चोरी की मोटरसाइकिल स्प्लैण्डर बिना नम्बर (चैसिस न0 04L16F30356)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2-उ0नि0 श्री मानवेन्द्र सिंह भाटी थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 3-हे0का0 रामअवतार सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 4-का0 गौरव सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 5-का0 गौरव यादव थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा करीब पांच माह से फरार चल रहे ₹10,000/- का इनामी हत्याभियुक्त किया गिरफ्तार ।

आज दिनांक 16.09.2020 को पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा वांछित/इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर मौहल्ला शाहमुबारिक से ₹10,000/- का इनामी हत्याभियुक्त इकराम को गिरफ्तार किये जाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । जिसके सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

ज्ञात हो कि दिनांक 30.04.2020 को मौहल्ला शाहमुबारिक कस्बा झिंझाना में पांच व्यक्तियों द्वारा यूसुफ पुत्र नसीम निवासी मौहल्ला शाहमुबारिक थाना झिंझाना की धारदार हथियार व लाठी डंडो से पीटकर हत्या कर थी । इस घटना के संबंध में मृतक यूसुफ के भाई जमील द्वारा थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दी थी । जिसके आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । उक्त मामले में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्तगण इलियास, नूरमोहम्मद, आकिल व इस्माइल को थाना झिंझाना पुलिस द्वारा पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं । परंतु अभियुक्त इकराम गिरफ्तारी से बच कर फरार हो गया था जिसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा ₹10,000/- का नकद पुरस्कार घोषित किया गया था ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- इकराम पुत्र सगीर निवासी मौहल्ला शाहमुबारिक कस्बा व थाना झिंझाना जनपद शामली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 2- उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 3- का0 विनय कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 4- का0 अरुण थाना झिंझाना जनपद शामली ।



थाना बाबरी

थाना बाबरी पुलिस द्वारा अवैध वसूली कर रहे फर्जी सैलटैक्स गिरोह के 04 सदस्य गिरफ्तार , कब्जे से अवैध रूप से वसूली गई नकदी व नीली बत्ती लगी उ0प्र0 सरकार लिखी बोलेरो बरामद:-

आज दिनांक 16.09.2020 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री विनीत जायसवाल के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बाबरी पुलिस को गस्त के दौरान सूचना मिली कि ग्राम कैंडी से आगे हिण्ड रोड़ पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति फर्जी सैलटैक्स अधिकारी बनकर नीली बत्ती लगी एवं उ0प्र0 सरकार लिखी एवं एक बोलेरो नम्बर UP-12BD/7942 से रोड़ पर मालवाहक वाहनों ट्रक आदि को चैकिंग के नाम पर रोककर अवैध वसूली कर रहे हैं। जिस पर थाना बाबरी पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए ऐसे गिरोह के 04 सदस्यों को अवैध वसूली करते हुए गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। मौके से इनका एक साथी फरार हो गया है जिसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के कब्जे से 01 बोलेरो नम्बर UP-12BD/7942, अवैध रूप से वसूले गये 1000 रुपये नकद व दो बत्ती (लाल व नीली) बरामद हुई है। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के संबंध में थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ में प्राप्त जानकारी हुई है कि उनके द्वारा रात्रि में रोड़ पर पहुंचकर सैलटैक्स विभाग के अधिकारी/कर्मचारी बनकर मालवाहक वाहनों को मौके के अनुसार रोका जाता है और बोलेरो में मौजूद उनके एक साथी को सैलटैक्स अधिकारी बताकर रोके गये वाहन के चालक से माल/वाहन के कागजात चैकिंग के लिए मंगाये जाते हैं और फिर उसमें कमियां बताकर जुर्माने की बात की जाती है। इसी दौरान इन्हीं के बीच का एक साथी मामले को ले-दे कर रफा-दफा करने की बात करता है और सौदा पटने पर नकदी वसूल कर वाहन को उसके चालक को सुपुर्द कर छोड़ दिया जाता है। पकड़े जाने से पूर्व रोके गये ट्रक न0 HR 58 B 7548 के चालक से भी चैकिंग में कमियां बताकर जुर्माना माफ कराने के नाम पर 10 हजार रुपये की अवैध मांग की गई और चालक द्वारा पैसे न होने पर केवल 1 हजार रुपये अवैध रूप से वसूल कर छोड़ा गया। अभियुक्तगण से पूछताछ कर अन्य कारित घटनाओं की जानकारी एवं इनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1-अंकित पुण्डीर पुत्र धर्मेन्द्र निवासी ग्राम हरड़ फतेहपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 2-मौ0 अली पुत्र सोकत अली निवासी ग्राम सोंटा रसूलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 3-मुस्तफा पुत्र जमील अहमद निवासी ग्राम सोंटा रसूलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।
- 4- साजिद पुत्र जाखर अली निवासी ग्राम सोंटा रसूलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

नाम व पता फरार अभियुक्त:-

- 1- अहसान पुत्र जमशेद निवासी ग्राम सोंटा रसूलपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1- अवैध रूप से वसूली धनराशि 1000 रुपये।
- 2- घटना में प्रयुक्त आगे - पीछे उ0प्र0 सरकार लिखी 01 बोलेरो नम्बर UP-12BD/7942।
- 3-सरकारी वाहन पर प्रयुक्त होने वाली दो बत्ती (लाल व नीली)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री देशपाल सिंह थाना बाबरी जनपद शामली।
- 2-उ0नि0 श्री राजकमल थाना बाबरी जनपद शामली।
- 3-का0 मोनू नागर थाना बाबरी जनपद शामली।
- 4-का0 आलोक राणा थाना बाबरी जनपद शामली।



थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा खाईबाड़ी करता हुआ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ₹1850/- पर्चा-सट्टा, आदि बरामद।

आज दिनांक 16.09.2020 को समय 10:45 बजे थाना कांधला पुलिस द्वारा बड़ के पेड़ के पास मोहल्ला रायजादगान से एक अभियुक्त देवेन्द्र पुत्र जगरोशन निवासी मोहल्ला रायजादा कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली को खाईबाड़ी करते हुए गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। जिसके कब्जे से ₹1850/- नगद, पर्चा-सट्टा आदि बरामद हुआ है। जिसके विरुद्ध थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।